मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

"आदेश"

भोपाल, दिनांक 02 जून 2018

क्रमांक एफ 2–22/2013/1/59 : राज्य शासन एतद द्वारा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा विशेषज्ञ आयुर्वेद के पद पर चयन किए गए निम्नलिखित उम्मीदवारों को विशेषज्ञ आयुर्वेद, के पद पर वेतनमान पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन मेट्रिक्स परिशिष्ट–1 के लेवल 13 के प्रारंभिक वेतन रू. 67,300/-- (छटवां वेतनमान वेतन बैंड रू. 15600–39100+ग्रेड पे 6600 पीं.बी.बैंड) प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये नियुक्त कर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थानों में पदस्थ करता है :–

क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. प्रियंका धुर्वे, प्रतीक सदन, राजेन्द्र बाग ढाना बैतूलगंज, बैतूल।	जिला एलोपैथी चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा
2	डॉ.शीतल कुमार सोलंकी,ग्राम–चाचरिया पाटी तहसील सेंधवा जिला बड़वानी	शासकीय आयुष विंग, इन्दौर
3	डॉ. नरेन्द्र सिंह लोधी, खादी भंडार के पीछे मामोन दरवाजा, टीकमगढ़	शासकीय आयुष विंग में विशेषज्ञ के रिक्त पद पर होशंगाबाद
4	डॉ. ओबेद अहमद, अंसारी 51, सरदार एजेंसी गोहलपुर, जबलपुर।	शासकीय आयुष महाविद्यालय चिकित्सालय, जबलपुर

2/– उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–8 एवं म.प्र. आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम–19 के अंतर्गत उल्लेखित नियुक्ति प्रथमतः 02 वर्ष की अंवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी।

(2) परिवीक्षा अवधि में स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 तथा सेवा संबंधी अन्य मुद्दे, नियमित शासकीय सेवक को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये अथवा लागू किये जावे, के अधीन रहेंगे।

(3) परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने या आगे पर्याप्त कारणों से राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि में आगे वृद्धि की जा सकेगी या सेवाएँ एक माह के नोटिस अथवा नोटिस–पे भुगतान के आधार पर समाप्त की जा सकेंगी।

(4) परिवीक्षा अवधि में सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जावेगा परन्तु यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

(5) शासकीय/अर्द्धशासकीय निगमों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य है। परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता होगी।

(7) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल दिनांक 24 नवम्बर 2012 के तहत यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(9) यदि अभ्यर्थी के द्वारा प्रॉव्हीजनल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है तो नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 06 माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना किसी नोटिस/नोटिस वेतन के यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। जाति प्रमाण–पत्र अवैध पाया जाता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(10) नियुक्ति के बाद यदि मूल निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज अवैध पाये जाते हैं तो आपकी (संबंधित विशेषज्ञ आयुर्वेद की)नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस/नोटिस वेतन के समाप्त की जावेगी।

(11) आपको समय–समय पर शासन अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(12) मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध अस्थायी) सेवा नियम–1960 के नियम–12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की देय राशि संबंधित अधिकारी से भू–राजस्व की भॉति वसूली के योग्य होगी।

(13) पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(14) इन अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।

(15) उपरोक्त नियुक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण प्रावधान का पालन किया गया है।

(16) नवीन अंशदान पेंशन योजना नियम–2005 लागू होंगें।

3/ यह नियुक्ति आदेश याचिका कमांक 3585/2017 में मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस. कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

पृ.क्रमांक एफ 02–22/2013/1/59 भोपाल, दिनांक 02 जून 2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 3911/04/2015/चयन इन्दौर दिनांक 03.06.2017 संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. आयुक्त आयुष संचालनालय म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त जनसम्पर्क, म.प्र. भोपाल।
6. विशेष सहायक, मान. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
8. प्रधानाचार्य,शासकीय आयुष महाविद्यालय चिकित्सालय, जबलपुर म.प्र.।
9. संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग इन्दौर/नर्बदापुरम/जबलपुर, म.प्र.।
10. जिला आयुष अधिकारी, जिला छिन्दबाड़ा/इन्दौर/होशंगाबाद/जबलपुर, म.प्र.।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला छिन्दबाड़ा/इन्दौर/होशंगाबाद/जबलपुर, म0प्र0
12. सर्वसंबंधित डॉ. ____________________

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर उक्त शर्ते मान्य होने की स्थिति में ही संबंधित शासकीय जिला चिकित्सालय/शा.आ.महावि. में अपना कार्यभार ग्रहण करें।

13. स्टाफ फाईल।